पाँच रुपये FIVE RUPEES

TEN RUPEES

।। श्री ।।

(68)

निगरानी क्रमांक /03

पेशी दिनांक 21/7/2003

R 1156 - PBR/2003

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

कमरुल पिता ईदाजी नायता
निवासी ग्राम खजराना तहसील
व जिला इन्दौर तर्फे अध्यक्ष एवम् आममुख्त्यार
श्री बालमुकुन्द पिता श्री भगवानदासजी सिद्ध
निवासी 24/2 नयापुरा इन्दौर
(देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी
संस्था मर्यादित झाबुआ टॉवर,
91, इमली बाजार इन्दौर --- प्रार्थी

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश महोदय,
इन्दौर द्वारा जिलाधीश कार्यालय इन्दौर,

2. तहसीलदार महोदय इन्दौर
द्वारा कलेक्टर कार्यालय इन्दौर

3. सलीम पितासरदार नायता

4. शेराज पिता सरदार

5. चाँद पिता दरवेश

सभी निवासी ग्राम खजराना तहसील व जिला
इन्दौर ----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. सं. के तहत

सदर प्रकरण में प्रार्थीगण श्रीमान् कलेक्टर महोदय, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/9/99 जो कि उन्होने प्रकरण क्रमांक 219/स्व0 निगरानी/98-99 में पारित किया है और स्वमेव निगरानी स्वीकृत की जिससे असतुष्ट होकर यह निगरानी अर्ज नीचे लिख तथ्य एवम् कारणों पर प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1156/पीबीआर/2003 [कमाल/शमीम] जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक 219/स्व0 निगरानी/98-99 में पारित आदेश दिनांक 28.09.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा कलेक्टर ने तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 43/अ-6/80-81 पारित आदेश दिनांक 02.12.2018 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया है। 2/ आवेदकगण द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं- (1) तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 43/अ-6/80-81 मे दिनांक 02.12.1980 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसे स्वमेव निगरानी में लेने का कोई औचित्य नहीं था। (2) कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र अवैधानिक है, क्योंकि कलेक्टर को किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रश्नाधीन कृषि भूमि के विषय में करने का अधिकार नहीं था। (3) कलेक्टर का आदेश दिनांक 28.09.1999 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि उनके द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। (4) कलेक्टर ने दिनांक 28.09.1999 को अवैधानिक आदेश पारित कर आवेदकगण को प्रश्नाधीन कृषि भूमि में उनके स्वामित्व के अधिकारों से वंचित किया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। (5) कलेक्टर को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को 20 साल बाद स्वमेव निगरानी में लेने का कोई अधिकार नहीं था। (6) कलेक्टर ने अपने आदेश में स्वयं स्वीकार किया है कि 'प्रकरण लम्बी समयावधि के बाद स्वमेव निगरानी में लिया है।' अतः स्वीकारोक्ति के पश्चात् भी प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर विधि की गंभीर भूल की गई है। (7) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी सन् 1977 से पूर्व का है। इस प्रकार वास्तविक स्वामित्वधारी की जांच कर प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है।	

(8) कलेक्टर ने अपने आदेश में स्टाम्प शुल्क बावत जो आदेश दिया है, इसके बारे में कलेक्टर को सुनवाई का कोई अधिकार न होते हुए भी आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की है।

(9) अधीनस्थ न्यायालय में किसी पक्षकार द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, फिर भी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर कलेक्टर द्वारा गंभीर भूल की है।

(10) तहसीलदार का आदेश अपील योग्य होकर उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता फिर भी स्वमेव निगरानी में लेकर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में गंभीर भूल की है।

3/ अनावेदक क्रमांक 4 मृतक चांद के वारिस इस्लाम व अय्यूब की ओर से लिखित तर्क में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं अधिकारबाह्य था। तहसीलदार के द्वारा स्वत्व के प्रश्न का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा अपने विवादित आदेश में बिना अधिकारिता के स्वत्व के प्रश्न पर अपना अभिमत देते हुए त्रुटिपूर्ण अधिकारबाह्य आदेश पारित किया है।

(2) कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर विधि अनुरूप आदेश पारित करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(3) आवेदकगण द्वारा प्रकरण में मात्र समयावधि का ही प्रश्न उत्पन्न किया गया है, अन्य कोई वैधानिक अधिकार प्रकरण एवं तर्क में उपस्थित नहीं किये गये हैं। एकपक्ष के स्वत्वों को सदैव के लिए बिना अधिकार के समाप्त कर दिया गया हो, ऐसे आदेश को जानकारी में आने के बाद निगरानी में लिया जा सकता है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण के तथ्य की जानकारी में आने के उपरांत स्वमेव निगरानी में लिया गया है, जिसमें समयसीमा की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अतः कलेक्टर द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है।

(4) आवेदकगण के द्वारा प्रकरण के तर्क में 12 वर्ष के आधिपत्य बाबद भी कथन करते हुए न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, यहां यह भी स्पष्ट करने में आता है कि आधिपत्य के आधार से स्वत्व का निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविकता यह है कि आवेदकगण का आवेदित भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1156/पीबीआर/2003 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पर ना तो कोई स्वत्व है और ना ही कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य है।

(1) आवेदकगण के द्वारा यह निगरानी प्रकरण 4 वर्ष के विलंब से इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विलंब का कोई समुचित कारण एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विलंब के लिए दिन-प्रतिदिन का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है, जबकि उक्त आदेश को चुनौती दिये जाने हेतु निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्रकरण प्रस्तुत किये जाने में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण समयावधिबाह्य होने से प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है तहसील न्यायालय के आदेश में अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर विधिवत् आदेश पारित किया है। तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। तहसीलदार की कार्यवाही प्रथमदृष्टया ही अनियमिततापूर्ण है। तहसील के अवैधानिक आदेश से शासन को मुद्रांक शुल्क की हानि होकर भूमि अंतरण किया गया है, जो कि अवैधानिक आदेश है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने में समयसीमा की बाधा नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.1999 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

अध्यक्ष